म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक–बी–6/नियमन/2019–2020/279 भोपाल, दिनांक 31/03/2020

प्रति,

1. **संयुक्त संचालक/उप संचालक**
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
(म.प्र.)

2. **भारसाधक अधिकारी/सचिव**
कृषि उपज मण्डी समिति ....(समस्त)
जिला .... (म.प्र.)

विषयः– मण्डी कृत्यकारियों के लायसेंस नवीनीकरण अवधि में वृद्धि के संबंध में।

–0–

कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने से प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/हम्माल–तुलावटी/पक्का आढ़तिया एवं ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने मण्डी परिसर एवं मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के व्यापार हेतु मण्डी बोर्ड अथवा मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है और उनकी वैधता अवधि 31 मार्च,2020 अथवा 15 अप्रैल,2020 है, ऐसे समस्त अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई जाती है।

इस एक माह बढ़ाई गई अवधि में किसी भी लाससेंसी व्यक्ति/फर्म/प्रसंस्करणकर्ता से नियमानुसार लायसेंस शुल्क प्राप्त करने के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

31.3.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner